उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-03/2026/मु0स0-02/एक-1-2026-1-1099/139/2022

लखनऊः दिनॉकः 27 फरवरी, 2026

अधिसूचना

चूंकि ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित करके हरिनगर किए जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-480/सात-भूलेख, दिनांक-03.08.2025, द्वारा प्रस्तावित किया गया है और आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा के पत्र संख्या-2644/राजस्व सहायक (नौ-2)/2025, दिनांक-05.08.2025 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-1140/9-150/2022, दिनांक-06.08.2025 द्वारा संस्तुत किया गया है; भूमि प्रबंधक समिति ने भी उक्त ग्राम का पुनर्नामकरण किये जाने का प्रस्ताव पारित किया है;

और चूंकि भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या-11/72/2025-एम एण्ड जी, दिनांक-16.01.2026 द्वारा जनपद फिरोजाबाद की तहसील व विकासखण्ड शिकोहाबाद स्थित ग्राम पंचायत वासुदेवमई के अधीन ग्राम उरमुरा किरार का नाम परिवर्तित कर हरिनगर किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-130/53-पब्लिक दिनांक-11-09-1953 एवं पत्र संख्या-11/72/2025-एम एण्ड जी, दिनांक-16.01.2026 में विनिर्दिष्ट निदेश के अनुसरण में, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथा उल्लिखित उक्त ग्राम "उरमुरा किरार" का नाम परिवर्तित कर "हरिनगर" करते हैं।

2. राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव, किसी न्यायालय, जो उक्त ग्राम के संबंध में अब तक अधिकारिता का प्रयोग करता रहा हो, में पहले ही प्रारम्भ की गयी या लंबित किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

राजस्व ग्राम का वर्तमान नाम	राजस्व ग्राम का परिवर्तित नाम
उरमुरा किरार	हरिनगर

आज्ञा से,

अपर्णा यू0

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 03 /2026/ Mu0Sa0-02/I-1-2026-1-1099/139/2022 dated February 27, 2026 for general information:

Notification

No. 03 /2026/ Mu0Sa0-02/I-1-2026-1-1099/139/2022
Lucknow: Dated: February 27, 2026

WHEREAS it has been proposed by District Magistrate, Firozabad vide letter no. 480/Sat-Bhulekh dated 03-08-2025 and recommended by Commissioner Agra Mandal, Agra vide letter no. 2644/RajaswaSahayak(Nau-2)/2025 dated 05-08-2025 and Commissioner and Secretary of Board of Revenue vide letter no. 1140/9-150/2022 dated 06-08-2025 to change the name of village Umara Kirar to Harinagar; and the Land Management Committee has also passed the proposal to rename the said village ;

AND WHEREAS the Government of India has given the No Objection Certificate in respect of the changing the name of village Umara Kirar to Harinagar which is situated under Gram Panchayat Vasudevmai, Tehsil and Development Block Shikohabad of District Firozabad vide their letter no. 11/72/2025-M&G dated 16-01-2026 ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act No. 8 of 2012) and in pursuance of the directions of Ministry of Home Affairs, Government of India specified in letter no. 130/53-Public dated 11-09-1953 and letter no. 11/72/2025-M&G dated 16-01-2026, the Governor is pleased to alter the name of the said village "Umara Kirar" to "Harinagar" as mentioned in the Schedule below, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any Court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the revenue village.

SCHEDULE

Present name of the revenue village	Changed name of the revenue village
Umara Kirar	Harinagar

By order,
Aparna U.
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।